कार्यालय प्रधान जिला एवम् सत्र न्यायधीश, रोहिणी कोर्ट, दिल्ली

नं०. /हिन्दी विभाग/उत्तर/ उत्तर-पश्चिम/रोहिणी/२०२५ दिनांक

परिपत्र

हिन्दी दिवस

"हिन्दी दिवस १४ सितम्बर, २०२५ के पावन अवसर पर जिला न्यायालय दिल्ली परिवार के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को हार्दिक बधाई।

सम्पूर्ण भारत को एक सूत्र में पिरोनें का कार्य अगर किसी ने किया है तो वह है हमारी राजभाषा हिंदी। राष्ट्रभाषा हिंदी को १४ सितम्बर, १९४९ को राजभाषा का दर्जा दिया गया। उसी दिन से हर साल १४ सितम्बर को भारत वर्ष में हिंदी दिवस मनाया जाता है। हमारी आधिकारिक भाषा हिंदी को सम्मान देने के लिए हर साल१४ सितम्बर को भारत वर्ष में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हिंदी दिवस समारोह के माध्यम से हिंदी भाषा के महत्व पर जोर दिया जाता है। इस दिन आयोजित की जाने वाली विभिन्न गतिविधियाँ लोगों को हिंदी भाषा के करीब लाने और उन्हें इसका महत्व और सम्मान करने के लिए प्रोत्साहित करने का एक तरीका है। यह लोगों को हिन्दी भाषा की समृद्धि के साथ-साथ हमारे ऐतिहासिक अतीत से परिचित कराने का एक तरीका है। आइए, हिन्दी दिवस के इस पावन अवसर पर राजभाषा तथा राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रचार, प्रसार व इसके विकास के प्रति स्वंय को समर्पित करें एवं अपने दैनिक सरकारी कामकाज तथा बोलचाल में अधिक से अधिक हिन्दी का प्रयोग करें।

हिन्दी दिवस के अवसर पर सभी कर्मचारियों को हर्षोउल्लास के साथ यह भी सूचित किया जाता है कि रोहिणी जिले में **स्वरचित रचना** (कविता, कहानी, लेख, यात्रा-वृतांत आदि) प्रतियोगिता का आयोजन दोनों जिलों (उत्तर व उत्तर पश्चिम) में संयुक्त रुप से आयोजित किया जा रहा है। प्रतियोगिता की नियमावली व प्रपत्र इसके साथ संलग्न है। सभी कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे इस प्रतियोगिता में बढ़-चढ़ के हिस्सा लें।

निशा सहाय सक्सेना

(निशा सहाय सक्सेना)
विद्वत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उत्तर)
रोहिणी न्यायालय, दिल्ली

गुरविन्दर पाल सिंह

(गुरविन्दर पाल सिंह)
विद्वत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उत्तर-पश्चिम)
रोहिणी न्यायालय, दिल्ली

नं० 28755-890 /हिन्दी विभाग/उत्तर/उत्तर-पश्चिम/रोहिणी/२०२५ दिनांक २८/०८/२५

सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू परिपत्र एवं संलग्नकों की प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित की जाती है:-

1. समस्त विद्वान न्यायिक अधिकारीगण, जिला उत्तर व उत्तर-पश्चिम, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली।
2. समस्त विद्वत न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, जिला उत्तर व उत्तर-पश्चिम, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली।
3. कार्यालय दिल्ली विधिक सेवाएं प्राधिकरण, जिला उत्तर व उत्तर-पश्चिम, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली।
4. समस्त अनुभाग प्रभारी, जिला उत्तर व उत्तर-पश्चिम, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली।
5. अनुभाग प्रभारी, प्रतिलिपि अनुभाग, वी०डब्ल्यू०डी०सी०अनुभाग, सुविधा केंद्र, स्टेशनरी अनुभाग, फाइलिंग अनुभाग, देख-रेख अनुभाग और प्राप्ति एवं निर्गम शाखा, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली।
6. निजी कार्यालय, विद्वत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला उत्तर व उत्तर-पश्चिम, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली।
7. संबंधित कर्मचारी लेयर्स, संलग्नकों सहित इसे लेयर्स पर अपलोड करने हेतु।
8. वेबसाइट, जिला न्यायालय, दिल्ली, संलग्नकों सहित इसे जिला न्यायालय दिल्ली की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

कृप्या ध्यान दें:- उपयुक्त समस्त विद्वान न्यायिक अधिकारियों व अन्य अधिकारियों से अनुरोध है कि परिपत्र से अपने नियंत्रणाधीन जिला न्यायालय, उत्तर व उत्तर पश्चिम, दिल्ली के तहत तैनात कर्मचारियों को अवश्य अवगत करवाये और इच्छुक कर्मचारियों के अवेदन पत्र उनकी रचनाओं सहित निर्धारित तारीख तक भिजवाने का कष्ट करें।

श्रीजी एबट

(श्रीजी एबट)
विद्वत नोडल अधिकारी
राजभाषा हिन्दी विभाग (उत्तर)
रोहिणी न्यायालय, दिल्ली

अपूर्व

(अपूर्व भारद्वाज)
विद्वत नोडल अधिकारी,
राजभाषा हिन्दी विभाग (उत्तर-पश्चिम),
रोहिणी न्यायालय, दिल्ली

उत्तर व उत्तर पश्चिम जिला, रोहिणी न्यायालय दिल्ली में आयोजित की जाने वाली विविध हिन्दी प्रतियोगिताओं का स्वरूप व नियमावली २०२५

उत्तर व उत्तर पश्चिम जिला, रोहिणी न्यायालय दिल्ली में कार्यरत कर्मचारियों के लिए विविध हिन्दी प्रतियोगिता की श्रेणी में **स्वरचित रचना (कविता, कहानी, लेख, यात्रा–वृत्तांत आदि)** है। स्वरचित रचना का **विषय न्यायालय से संबंधित होना चाहिए जैसे लोक–अदालत, मध्यस्थता आदि।**

प्रतियोगिताओं के लिए नियमावली:–

1) इस प्रतियोगिता में उत्तर व उत्तर पश्चिम जिला, रोहिणी न्यायालय में तैनात सभी कर्मचारीगण भाग ले सकते हैं।

2) यह प्रतियोगिता निःशुल्क हैं।

3) **कर्मचारी अपनी स्वरचित रचना निर्धारित तारीख तक बंद लिफाफे में प्राप्ति एवं निर्गम शाखा द्वारा नोडल अधिकारी, हिन्दी विभाग, उत्तर/उत्तर पश्चिम जिला, दिल्ली को १० सितम्बर, २०२५ तक भेज दें।**

4) **अंतिम तारीख के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।**

5) स्वरचित रचना के साथ कर्मचारी द्वारा यह प्रमाणित करते हुए प्रमाणपत्र संलग्न किया जाना चाहिए कि वह रचना उसकी खुद की लिखी हुई है जो कहीं भी प्रकाशित नहीं हुई है तथा उस रचना के लिए उसने कहीं से कोई पुरस्कार प्राप्त नहीं किया है। इस प्रमाणपत्र के बिना रचना स्वीकार नहीं की जाएगी।

6) स्वरचित रचना किसी भी जाति, धर्म, समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाली नहीं होनी चाहिए व राष्ट्रविरोधी व सरकार के विरूद्ध नहीं होनी चाहिए।

7) प्रत्येक जिले की प्रतियोगिता के लिए नकद पुरस्कारों का विवरण निम्नलिखित है:-

प्रथम पुरस्कार (एक)	४०००/-
द्वितीय पुरस्कार (एक)	३०००/-
तृतीय पुरस्कार (एक)	२०००/-
प्रोत्साहन पुरस्कार (पाँच)	८००/-

8) उपर्युक्त विविध हिन्दी प्रतियोगिता का आयोजन करवाने से लेकर पुरस्कार वितरण आदि तक की समस्त कार्यवाही नोडल अधिकारी, राजभाषा हिन्दी अनुभाग उत्तर व उत्तर पश्चिम के देखरेख में की जाएगी।

9) इन प्रतियोगिताओं से संबंधित किसी भी बदलाव विवाद, शिकायत या इसके नियमों के निर्वहन आदि के बारे में माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उत्तर) व माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उत्तर-पश्चिम) का निर्णय ही अंतिम होगा।

श्रीजी एबट

(श्रीजी एबट)
विद्वत नोडल अधिकारी
राजभाषा हिन्दी विभाग (उत्तर)
रोहिणी न्यायालय, दिल्ली

अपूर्व

(अपूर्व भारद्वाज)
विद्वत नोडल अधिकारी,
राजभाषा हिन्दी विभाग (उत्तर-पश्चिम),
रोहिणी न्यायालय, दिल्ली

राजभाषा हिन्दी विभाग (उत्तर व उत्तर पश्चिम)
जिला न्यायालय रोहिणी, दिल्ली
विविध हिन्दी प्रतियोगिता - २०२५

उत्तर व उत्तर पश्चिम जिला, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली में आयोजित स्वरचित रचना (कविता, कहानी, लेख, यात्रा-वृत्तांत आदि) प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए निर्धारित प्रपत्रः-

इस प्रपत्र के सभी कॉलम अवश्य भरें किसी भी कॉलम को रिक्त न छोड़े।

i. कर्मचारी का नाम :.....

ii. पिता/पति का नाम :.....

iii. पदनाम :.....

iv. कर्मचारी कूट संख्या :.....

v. वर्तमान तैनाती स्थल :.....

vi. मोबाइल नम्बर :.....

कर्मचारी के हस्ताक्षर

अग्रसारित

(अग्रेषण अधिकारी के हस्ताक्षर)
मोहर सहित